कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1147 /36सी0 दिनांक 26 / 7 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः— जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायणबगड़ किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली मुस्याडडियार बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.394 हे0 आरक्षित 0.925 हे0 सिविल भूमि कुल 4.386 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। प्र0सं0 FP/UK/ROAD/46968/2020

सन्दर्भः— आपके कार्यालय का पत्रांक 235 / 12—1 दिनांक, गोपेश्वर जुलाई 19 / 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु इस खण्ड को वापस लौटाया गया था।

अतः निम्नलिखित आपित्तयो का निराकरण कर बिन्दुवार निम्वत है।

क्रम सं0	प्रस्ताव में कमिया	निराकरण
1	प्रस्ताव में 0—10 व्यास वर्ग के वृक्षों की सं0 अंकित नही की गई है। 0—10 व्यास वर्ग के वृक्षों की सं0 अंकित की जाए। इस सम्बन्ध में आप वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ एवं राजस्व उपनिरीक्षक से समन्वय स्थापित कर 0—10 व्यास वर्ग के वृक्षों की पुनः गणना करते हुए संशोधित वृक्षों की सूची, मूल्यांकन सूची एवं प्रभावित वृक्षों का सारांश प्रस्ताव में संलग्न करें।	सहायक अभियन्ता के पत्रांक सं0— 1140 / 36सी0 दिनांक 26.07.2024 के क्रम में वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ को 0—10 व्यास के वृक्षों की पुनः गणना हेतु तिथि निर्धारित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
2	प्रस्ताव की तीन प्रतियों में से दो प्रतियों में परियोजना के लम्बाई—चौड़ाई वाले प्रपत्र में कुल क्षे0 5.303 हे0 तथा एक प्रति 4.413 हे0 अंकित किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	परियोजना का कुल क्षे0 5.303 हे0 है, जो प्रस्ताव की सभी प्रतियों में सही अंकित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव की 3 प्रतियों में से 02 प्रतियों में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा अधिकांशतः परियोजना के नाम मे सिविल भूमि, आरक्षित भूमि कितनी प्रभावित हो रही है का उल्लेख नही किया गया है।	प्रस्ताव की सभी प्रतियों में परियोजना के नाम में सिविल भूमि, आरक्षित भूमि कितनी प्रभावित हो रही का उल्लेख कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के लैण्ड—शैड्यूल में आरक्षित, सिविल, वन पंचायत भूमि में मक डिस्पोजल के लियें कितना क्षेत्रफल लिया गया है स्पष्ट उल्लेख किया जाए।	प्रस्ताव के लैण्ड शेडयूल में आरक्षित वन पंचायत भूमि में मक डिस्पोजल हेतु लिये गये क्षे0 का उल्लेख कर लिया गया है।

संलग्नक - प्रस्ताव की 5 प्रति

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी0 दिनांकित / /

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता नि0ख0,लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः— खण्डीय अमीन / कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner